



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122023-250602
CG-DL-E-12122023-250602

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5065]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 12, 2023/अग्रहायण 21, 1945

No. 5065]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 12, 2023/AGRAHAYANA 21, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5294(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को हिंजेज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के बाद लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग - निचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि की समाप्ति तक लागू नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि लघु उद्यमों के लिए, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि की समाप्ति तक लागू नहीं होगा।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण** – ब्यूरो उक्त तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. **उल्लंघन के लिए पेनल्टी**— इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
हिंजेज	12817:2020	स्टेनलेस स्टील बट हिंजेज
	1341:2018	स्टील बट हिंजेज
	205:1992	नॉन-फेरस मेटल बट हिंजेज
	206:2010	टी एंड स्ट्रेप हिंजेज
	362:1991	पार्लियामेंट हिंजेज
	3818:1992	कंटिन्यूअस (पियानो) हिंजेज
	3843:1995	स्टील बैक फ्लैप हिंजेज
	453:1993	डबल-एक्टिंग स्प्रिंग हिंजेज
	18297:2023	कैबिनेट हिंजेज

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा.सं.पी-29026/11/2023- एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 8th December, 2023

S.O. 5294(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) This order may be called the Hinges (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the expiry of six months from the date of publication of this notification in Official Gazette.

2. **Compulsory use of Standard Mark.**- Goods or articles specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that in relation to micro enterprises, as defined in clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of twelve months from the date of publication of this notification.

Provided further that in relation to small enterprises, as defined in clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of nine months from the date of publication of this notification.

3. Certification and enforcement authority.- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. Penalty for Contravention. – Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Hinges	12817:2020	Stainless steel butt hinges
	1341:2018	Steel Butt Hinges
	205:1992	Non-ferrous metal butt hinges
	206:2010	Tee and strap hinges
	362:1991	Parliament hinges
	3818:1992	Continuous (Piano) hinges
	3843:1995	Steel back flap hinges
	453:1993	Double-acting spring hinges
	18297:2023	Cabinet hinges

Note.- For the purposes of the table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/11/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.